न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

अपील संख्या :27 / 2016

अपीलांट

1. लादा पुत्र भीखला
2. शंकर पुत्र भीखला जाति सरगड़ा, निवासी आलपा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. खीमा पुत्र खंगारा
2. मांगीया पुत्र खंगारा
3. भूरिया पुत्र खंगारा
   जातियान सरगडा, निवासी आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही
4. श्रीमती शांति पुत्री खंगारा पत्नि मोहनलाल तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   4 / 1. दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति सरगड़ा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   4 / 2. छगनलाल पुत्र मोहनलाल जाति सरगड़ा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   4 / 3. गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति सरगड़ा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   4 / 4. मंजुदेवी पुत्री मोहनलाल पत्नि सुरेश कुमार जाति सरगड़ा निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली
   4 / 5. रिंकु पुत्री मोहनलाल जाति सरगड़ा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   4 / 6. ममता पुत्री मोहनलाल जाति सरगड़ा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली
5. श्रीमती चुनी पुत्री खंगारा पत्नि भूरारामजी, जाति सरगड़ा, निवासी पालडी जोड तहसील सुमेरपुर जिला पाली
6. श्रीमती धनी पुत्री खंगारा पत्नि पवारामजी, जाति सरगडा निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही
7. श्रीमती पानी पुत्री खंगारा पत्नि मसाराम जाति सरगडा निवासी रूखाडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

8. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार शिवगंज।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दलपतराज परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/3, 4/6 व 5 से 7 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 10/10/2022

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2015 बउनवान लादा बनाम खीमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में म्याद बाहर प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का खसरा नंबर 16, 19/2, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5 कुल रकबा 50 बीघा मौजा आलपा तहसील शिवगंज के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का 1/2 हिस्सा, इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 का 1/2 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। इसलिए अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाने का अधिकार रखते है। उक्त वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 राज्य सरकार द्वारा आयोजित न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत शिवगंज में वाद खारिज करने का आधार खसरा नम्बर के रकबा व नक्शे के क्षेत्रफल में असमानता बताया है। तहसीलदार शिवगंज वाद में पक्षकार है और रेकर्ड को दुरस्त करने का दायित्व भी उनका ही है। उक्त त्रुटि को दुरस्त किया जा सकता था। राजस्व लोक अदालत में वे ही प्रकरण निस्तारित किये जा सकते थे जिनमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो जबकि उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। कैम्प में वाद को खारिज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होते हुए भी वाद खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को बिना ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा किया गया, उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन पूर्व में हो चुका है। उसी अनुसार काश्त कर रहे है। विभाजन होने के पश्चात रेस्पोडेण्ट ने अपने हिस्से की आराजी में काफी रकम खर्च कर कुआं खुदवाया है एवं कुए को पक्का बनवाया है। जिसके जरिये फसल सिंचित करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का खसरा नंबर खसरा नंबर 16, 19/2, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5 कुल रकबा 50 बीघा मौजा आलपा तहसील शिवगंज के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा पेश वाद को जमाबन्दी के खसरा नम्बर एवं नक्शा लट्ठा के असमान्तर होने का उल्लेख करते हुए वाद खारिज कर दिया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में रेखांकित किए गए बिन्दुओ का परीक्षण करने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा दायर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था। विधि अनुसार दायर वाद में रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया जाकर अप्रार्थीगण का जबाब पेश होने पर तनकीयात कायम कर, साक्ष्य ग्रहण करने के बाद उभयपक्ष की बहस सुनकर विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
खाली कैम्प-सिरोही

सम्मत प्राथमिक डिक्री जारी की जानी थी, इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधि अनुसार प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का कायम मुकाम की कार्यवाही में विचाराधीन होने के बावजूद ही, बिना तनकीयात, शहादत लिए, बिना बहस सुने ही राजस्व लोक आदालत न्याय आपके द्वार शिवगंज में दिनांक 30.06.2016 को मात्र आदेशिका में "राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा नम्बरों के रकबा एवं लट्ठा नक्शा में क्षैत्रफल भूमि का पैमाना में समान्तर नहीं होने से वादी द्वारा पेश वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।" लिखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जो कतई समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने से पूर्व उक्त विरोधाभास की जांच कर राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति की जानकारी करनी चाहिए थी। जो नही की जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह भी उद्भूत होता है कि क्या बिना आपसी सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया जाना उचित है ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2015 बअनवान लादा बनाम खीमा में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही
पाली